

17.02.2025:-पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता  
उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर सुना गया।  
पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन  
पत्रावली में अधिवक्ता की बहस एवं साक्ष्य सबूतों को  
मध्यनजर रखते हुए। प्रार्थना पत्र अनुसार निर्णय  
अलग से लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाये  
जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया।  
तहसीलदार हनुमानगढ़ को डिक्री की पालना में पत्र  
जारी कर शामिल मिशाल किया जाकर पत्रावली  
नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर  
हो।

जा

सहायक अधिवक्ता  
एवं उपखण्ड अधिवक्ता  
हनुमानगढ़



सहायक अधिवक्ता  
एवं उपखण्ड अधिवक्ता  
हनुमानगढ़